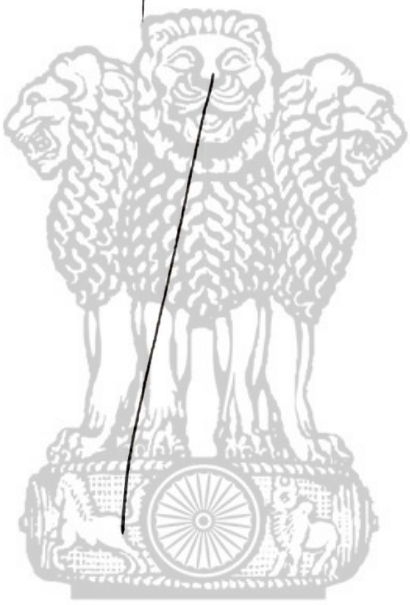

... का जवाब पेश हुआ, [illegible] ... वादी ... नहीं व साक्ष्य भी पेश नहीं करना चाहते ... पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 28.6.19 को पेश हो।

... प्रति ... की तरफ से लिखित कथन ... व साक्ष्य ... प्रस्तुत ... चाहते ...

17/6/19

सत्यमेव जयते

28.6.19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते ....बहस....
आगामी पेशी दिनांक ....22.8.19....
को पेश हो।

22.8.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 066/2019

1 महावीर प्रसाद पुत्र श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री रामकरण उम्र 33 साल जाति कुम्हार निवासी चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 गिरधारी लाल पुत्र स्व. श्री रामकरण पुत्र श्री दूदाराम जाति कुम्हार निवासी चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 जगननाथ पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति कुम्हार निवासी चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 हुक्मचन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति कुम्हार निवासी चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4 सुमित्रा पुत्री गिरधारी लाल पत्नि श्री दयानन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 18 लालगढ़ तहसील लालगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री वरिन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी
2. श्री सोम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 22.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 3 जे.आर.के. खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के पत्थर नम्बर 103/238 (4) किला नम्बर 21 से 25, पत्थर नम्बर 103/235 (7) किला नम्बर 1 से 25 कुल 7.590 हैक्टर भूमि मय गैर मुमकिन मुश्तरका खाता में है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3.795 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज भूमि वादी के दादा श्री रामकरण पुत्र ही दूदाराम की भूमि थी व उक्त भूमि वादी के दादा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं अर्जीत सम्पत्ति न होकर पैतृक सम्पत्ति है, ताईद में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी चक 3 जे.आर.के. सम्वत् 2035–38 सलंग्न वाद–पत्र है।

वादी के दादा श्री रामकरण पुत्र श्री दूदाराम का संयुक्त हिन्दु परिवार था व वादी के दादा ने उक्त भूमि की आय व संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अपने जीवन काल में ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 1 जे.डी.डब्लयु. के खाता संख्या 11/14 के पत्थर नम्बर 102/229 (6) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 97/230 (14) किला नम्बर 13, 14/1/.126, 16 से 18, 19, 20 व पत्थर नम्बर 99/231 (23) किला नम्बर 21 से 25 कुल 4.174 हैक्टर भूमि अनकमाण्ड व कमाण्ड खरीद की। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

उक्त वर्णितानुसार वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 5 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक सम्पति है व पैतृक सम्पति होने के कारण उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा का हक व अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मिलने वाला हक बिरासतन असां दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक तर्क किया हुआ है, इस प्रकार वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 5 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के हकदार खातेदार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए असां दराज पूर्व चक 3 जे.आर.के. के खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर व चक 1 जे.डी.डब्लयु. के खाता संख्या 11/14 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्राप्त की हुई है। अतः इसी अनुसार चक 3 जे.आर.के. के खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर व चक 1 जे.डी.डब्लयु. के खाता संख्या 11/14 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे वाद–पत्र की चरण संख्या 6 वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत सप्ताह मुकाम चिरितयां में स्पष्ट इन्कार हो गये यही विनाये वाद है। वाद–पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/– रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 5 मे वर्णित कृषि भूमि चक 3 जे.आर.के. के खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के व चक 1 जे.डी.डब्लयु. के खाता संख्या 11/14 की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.04.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवानी वाद प्रथम पक्ष वादी द्वारा इस्तकरारहक बाबत द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है, चूंकि पक्षकारान आपस में पिता–पुत्र व बहिन–भाई है व एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनका भाई बिरादरी की पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है, जो इस प्रकार है :–

वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा रामकरण पुत्र दूदाराम से प्राप्त होना व वाद–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित भूमि वादी के दादा श्री रामकरण ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि की आय व संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीद की होना व वाद–पत्र में दर्ज कुल भूमि पैतृक सम्पति होना स्वीकार करते है व पैतृक सम्पति होने के कारण वाद–पत्र की चरण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 3

Scanned by CamScanner

संख्या 3 व 5 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त भूमि मे मिलने वाला हक विरासतन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक तर्क किया हुआ है। इस प्रकरण वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 5 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार है। जिसे पक्षकारान जरिये राजीनामा स्वीकार करते हैं व घराघरू बंटवारा में चक 3 जे आर के खाता संख्या 13/11 की 3.795 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को व चक 1 जे.डी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 11/14 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होना भी पक्षकारान जरिये राजीनामा स्वीकार करते हैं।

अगर प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार से कोई एतराज एवं आपति नहीं है बल्कि पक्षकारान वाद डिक्री करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद–वादी डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुंत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की समपति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 3 जे.आर.के. के खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड है, जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होने के कारण वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 3 जे. आर.के. के खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्र वादी महावीर प्रसाद, प्रतिवादी संख्या 2 जगन्नाथ तथा प्रतिवादी संख्या 3 हुक्मचन्द को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 066/2019

1 महावीर प्रसाद पुत्र श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री रामकरण उम्र 33 साल जाति कुम्हार निवासी चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 गिरधारी लाल पुत्र स्व. श्री रामकरण पुत्र श्री दूदाराम जाति कुम्हार निवासी चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 जगननाथ पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति कुम्हार निवासी चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 हुक्मचन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति कुम्हार निवासी चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 सुमित्रा पुत्री गिरधारी लाल पत्नि श्री दयानन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 18 लालगढ़ तहसील लालगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादी की और से श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री सोम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 3 जे. आर.के. के खाता संख्या 13/11 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.795 हैक्टर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्र वादी महावीर प्रसाद, प्रतिवादी संख्या 2 जगननाथ तथा प्रतिवादी संख्या 3 हुक्मचन्द को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प			

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 15:36:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: